18.25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष बहस अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 07 रा। सीपीसी सुनी जा चुकी है। प्राते 01 के अनुसार प्रति01 के नाम दर्ज भूमि स्वयं की खरीदशुदा भूमि है जो उसने वादी 03 व अकुंश पुत्र राजेन्द्र (प्राति 6) से क्रय की है और इस भूमि पर वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है और पंजीकृत बैयनामें को अवैध व शून्य करवाने का कोई अधिकार नहीं है व विधि द्वारा बाधित है इसलिये प्रार्थी के विरुद्ध वादकारण हासिल न होने के कारण वादपत्र खारिज योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी/प्राति01 के नाम दर्ज आराजी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। संलग्न पंजीकृत बैयनामों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित क्रयशुदा भूमि है जो प्रतिवादी संख्या

06 के पुत्र अंकुश व वादी संख्या 03 से क्रय की है और पंजीकृत बैयनामें को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है और दूसरे स्वयं वादी 3 ने ही प्रति0 1 को भूमि विक्रय की है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड